आज का विचार

सदन में अपनी बात रखने व कहने का सभी सदस्यों को अधिकार है। विपक्ष को चाहिए कि व्यवधान कर कार्यवाही में बाधा डालने के बजाय तर्क संगत तरीके से बात रखे।
(शिवकुमार त्रिवेदी चिंतन सरिता)

दैनिक **लोकजीवन**

विधानसभा में गाली-गलौच, धक्का-मुक्की...

संसद और विधानसभा में चुनकर जाने वाले प्रतिनिधियों के सदन में किए गए व्यवहार का समाज पर भी असर पड़ता है वहीं इनके आचरण को देख जनता इनके बारे में बनी धारणा पर भी प्रश्न चिह्न लगता है वैसे यह भी कहा जाता है कि जैसा समाज होगा उसके प्रतिनिधि भी उसी के प्रतिरूप होंगे, क्योंकि ये लोग भी उन्हीं लोगों में से है और उन्हें उसी जनता ने चुनकर सदन में भेजा है। दूसरी ओर सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष की ही नहीं होती अपितु विपक्ष की भी होती है और दोनों के मिले-जुले प्रयासों से ही सदन का सुचारू संचालन होता है लेकिन व्यवहार में ऐसा नजर नहीं आता क्योंकि जो दल सत्ता में रहा हो वहीं विपक्ष में बैठे तब उसका आचरण बिल्कुल बदल जाता है। जिन मुद्दों पर सत्ता पक्ष में रहते वह सहमत था वे ही मुद्दे या वैसे ही मुद्दों पर विपक्ष में आते ही उलट व्यवहार लगता है विपक्ष सदन में चर्चा व स्वस्थ बहस के बजाय हंगामा, बहिष्कार करने को ही अपना धर्म मानने लगता है उसे ऐसा करते इस बात की चिंता नहीं रहती कि सदन को चलाने पर जनता की गाढ़ी कमाई खर्च होती है वहीं जो समय जनहित के मुद्दे उठाने व विधायी कार्य निपटाने के लिए है। वह हंगामे बाजी में ही व्यर्थ हो जाता है। कभी-कभी तो पूरा सत्र ही हंगामों की भेंट चढ़ जाता है तब जनता अपने प्रतिनिधियों की कारगुजारियों पर शर्मिन्दा ही हो सकती है।

राजस्थान विधानसभा में राज्य के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्य हाथों में रीट परीक्षा धांधली की सीबीआई से जांच की मांग करते हुए समय खड़े रहकर शांतिपूर्ण विरोध किया, लेकिन दूसरे ही दिन हालात बिल्कुल बदल गये विधानसभा में धक्का-मुक्की और गाली गलौच, बांहे तन गई और तख्तियां फाड़ी। अभिभाषण पर पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। भाजपा के चार विधायक निलम्बित कर दिए गये। जिनके समर्थन में भाजपा विधायक धरने पर बैठे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच धक्का-मुक्की और गाली-गलौच तक हो गई। दोनों तरफ से बाहे तनी और तख्तियां फाड़ी। भाजपा के चार सदस्यों के निलम्बन के विरोध में भाजपा के सदस्यों ने सदन में ही अनिश्चित कालीन धरना दिया लेकिन बाद में सहमति होने पर धरना स्थगित कर दिया गया। सत्ता पक्ष का कहना था कि भाजपा के राज में भी पेपर लीक हुए तथा नकल करते पकड़े गये तब एसओजी को भी जांच नहीं सौंपी, लेकिन हम एसओजी से जांच करवा रहे है दोषी गिरफ़्तार हुए है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष सकारात्मक रूख अपनाते हुए सदन का सुचारू संचालन करें।

कड़वी घूंट -सूरज

दस रूपये का सिक्का ...

आम तौर पर भारतीय मुद्रा के लेन-देन से कभी कोई इंकार नहीं करता लेकिन अफवाह कभी-कभी ऐसा वातावरण बना देती है कि या तो दुकानदार उस मुद्रा को लेने से ही इंकार करने लग जाय ऐसा तब होने लगता है जब ग्राहक उस मुद्रा को लेने से मना करने लगे अर्थात लेन-देन एकतरफा नहीं चल सकता। विपरित इसके ऐसा किन्हीं गांवों, शहरों या क्षेत्र विशेष में ही हो जाता है क्योंकि जब उस मुद्रा को लेने को ही तैयार न हो तब क्यों ग्राहक या दुकानदार लेकर अपने पास हीरखने की जहमत उठायेंगे। क्योंकि लोग न तो कानून बताने की स्थिति में होते है और न ही कार्यवाही करने में।

हां दस रूपये के सिक्के के मामले में भी ऐसा हो गया है कि अधिकांश क्षेत्रों में इसका लेन-देन अफवाहों के चलते रूक गया है। जबकि यह पूरी तरह वैध है इस पर केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि दस रूपये के सिक्के पूरी तरह से मान्य है और नकली नहीं है। केन्द्र वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि विभिन्न आकार, थीम और डिजाइन में आरबीआई द्वारा जारी दस रूपये के सिक्के वैध है । अब यह आप जानो कि हर आदमी की क्षमता नहीं कि इसके कानूनी और सही होने की बहस कर इसे सही साबित करें। अच्छा है ले ही नहीं तो देने ही नहीं पड़े।

ढाबे पर खड़े ट्रक से 22 किलो और खेत पर बने मकान से 257 किलो डोडा-चूरा जब्त

ट्रक चालक व उसका साथी फरार, खेत से महिला को किया गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ जिला स्पेशल टीम की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है। जिला स्पेशल टीम ने भादसोड़ा व मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग कार्रवाई की है। एक कार्रवाई में ट्रक से 22 किलो डोडा चूरा पकड़ा है साथ ही भदसोड़ा थाना क्षेत्र रकमपूरा गांव में दबिश देकर एक मकान से ढाई क्विंटल डोडा चूरा के अलावा 5 लाख 66 हजार रुपए की नकदी बरामद की है। इस संबंध में एक महिला की गिरफ्तारी हुई है।

पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने बताया कि गोकुल डांगी थाना प्रभारी पुलिस थाना मंगलवाड मय जाप्ते के चित्तौडगढ-उदयपुर नेशनल हाईवे पर स्थित शिव सांवलिया हरियाणा पंजाब हिमाचल ढाबे पर पहुंचे। यहां खड़े एक ट्रक व हॉटल की तलाशी ली तो ट्रक में अवैध डोडा चूरा 22 किलोग्राम हुआ। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जप्त कर फरार आरोपित उदयलाल पुत्र नवलराम अहीर निवासी चकतिया हाल रकमपुरा व रमेश पुत्र नवलाराम अहीर निवासी चकतिया धाना मंगलवाड के खिलाफ पुलिस थाना मंगलवाड़ पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान सुरेश कुमार मीणा थानाधिकारी डूंगला द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह भादसोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार ने रकमपुरा में एक खेत पर बने मकान पर दबिश दी। मौके पर साबूत एवं पीसा हुआ अवैध डोडा चूरा मिला, जिसका वजन किया तो 2 क्विंटल 57 किलोग्राम हुआ। मौके पर मिली महिला पारसदेवी पति उदयलाल अहीर निवासी भील बस्ती चकतिया हाल रकमपुरा को पकड़ा। मौके से पुलिस टीम ने महिला के कब्जे से अवैध डोडा चूरा, डोडा चूरा पीसने की चक्की, वजन करने की इलैक्ट्रॉनिक मशीन व 5 लाख 66 हजार रूपये एवं अन्य सामान नियमानुसार जब्त किये। महिला के खिलाफ पुलिस थाना भादसोड़ा पर प्रकरण पंजिबद्ध कर अनुसंधान रमेश कविया थानाधिकारी शम्भूपूरा द्वारा प्रारम्भ किया ।

मधुमक्खियों के काटने से पिता-पुत्र सहित चार की बिगड़ी हालत

भीलवाड़ा। जिले के सुवाणा कस्बे में मधुमक्खियों के काटने से एक पिता पुत्र सहित चार जनों की हालत बिगड गई। चारों को इलाज के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक सुवाणा निवासी रतन (42) पुत्र रामचंद्र नायक, इसका बेटा गोविंद (19) के साथ ही रामचंद्र (55) पुत्र परसाराम नायक और दुर्गालाल (25) पुत्र कालू नायक खेत पर थे। इस दौरान इन चारों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इससे चारों की हालत बिग? गई। बाद में इन सभी को महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें भर्ती कर उपचार शुरू किया गया।

विचारों का पुल

इस छोर से
उस छोर तक
विचारों का यह पुल
तुमसे मुझको
जोड़ता है
जिसे मैं आसानी से
पार कर लेता हूं
और... पुनः लौट आता हूं
नियत बिन्दु पर
कुछ शब्दों के सहारे
जब तुम्हारे पास
पहुंचता हूं
कुछ थकावट होती है
और मैं बैठ जाता हूं
सुस्ताने लगता हूं
पुनः
अपने पैरों पर खड़ा हो
मेरा मन
झांकना चाहता है
उस गहराई को
जहां तुमने एक कोना
सुरक्षित रखा है
मेरे लिए ।
मूंदी आंखों में
सपने ठहर जाते है
जिसे मैं चुपके से
पढ़ लेता हूं
भविष्य की बातें
अकथित सार वक्तव्य
और अक्षर।

रतन कुमार 'चटुल'

52 स्कूली छात्राओं को मिली साइकिलें

चित्तौड़गढ़। राज्य सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए अरनियामाली के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आयोजित साईकिल वितरण समारोह में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढाओ अंतर्गत 52 साइकिलें वितरित की।

कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक - परि / 2021-22 दिनांक - 11.2.2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे लिखी गई वाहन का स्वामित्व बदलने (ट्रांसफर) हेतु आवेदन पत्र पेश किया है। किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो निम्न हस्ताक्षरकर्ता को 15 कार्य दिवस में अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा वाहन हस्तान्तरण कर दिया जाएगा। विज्ञापन का खर्च आवेदक स्वयं वाहन करेंगा।

वाहन संख्या - आर जे 06 सीए 6207, पंजीकृत वाहन स्वामी का नाम व पता - श्री राधेश्याम सोनी, पुत्र श्री अशोक सोनी, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, मृतक वाहन स्वामी के उत्तराधिकारी का नाम, श्रीमति उर्मिला सोनी, पत्नी श्री अशोक सोनी, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, वाहन स्वामी से संबंध- माता।

RANJAN POLYSTERS LIMITED

Regd. Office: 11-12th K.M Stone, Chittorgarh Road, Guwardi, Bhilwara- 311001 (Rajasthan).
Email: ranjanpoly@gmail.com, Website: www.ranjanpolysters.com
CIN: L24302RJ1990PLC005560, Tel No.- 01482-249095,

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31STDECEMBER, 2021

(Rs. in Lacs, except as stated)

Sl. No.	Particulars	Unaudited				Audited
		Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021
1.	Total Income from Operations (Net)	1645.71	837.30	3700.84	1928.03	3015.90
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	85.47	18.24	52.58	39.70	28.21
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	85.47	18.24	52.58	39.70	28.21
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	52.25	16.94	24.37	39.52	30.27
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	53.71	20.81	28.75	51.12	36.11
6.	Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- each)	300.09	300.09	300.09	300.09	300.09
7.	Reserve excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year.					697.58
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- 1.Basic 2. Diluted	1.74 1.74	0.56 0.56	0.81 0.81	1.32 1.32	1.01 1.01

Note:-

1 The above unaudited standalone financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 11thFebruary, 2022 at Bhilwara. The Statutory auditors have carried out a limited review of the results for the quarter and nine months ended December 31st December, 2021

2 The results for the Quarter and Nine Months ended 31st December,2021have been restated to Comply with Ind AS to make them comparable with the Current Period. Further previous period figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary, to confirm with the current period presentation.

3 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Nine month ended Financial Results is available on the Stock Exchange website, www.msei.inand on the company's website, www.ranjanpolysters.com.

By the order of the Board

Date: 11th February 2022
Place: Bhilwara

Mahesh Kumar Bhimsariya
Managing Director
DIN No. 00131930

राजस्थान आवासन मण्डल -जाहिर आम सूचना-
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(A State Government Enterprise Constitued Under RHB Act 1970)
क्रमांक आरई/भील/2021-22/2168 दिनांक 08-02-2022

आवास संख्या ग-6 बापू नगर योजना शहर भीलवाडा जो मूल आवंटी श्री रामस्वरूप पुत्र श्री रामदयाल को सामान्य पंजीकरण योजना-1973 के अन्तर्गत आवंटित किया गया। आवास का आवंटन पत्र क्रमांक 3765 दिनांक 30.05.1978 के द्वारा जारी कर दिनांक 09.08.1980 को आवास का भौतिक कब्जा सुपूर्द किया गया।

इसके पश्चात् उक्त आवास के मूल आवंटी श्री रामस्वरूप पुत्र श्री रामदयाल की मृत्यु दिनांक 17.08.2001 को हो जाने पर उनके वारिस/उत्तराधिकारी (पुत्र) श्री प्रकाश चन्द्र कांकरिया पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ पंजीकृत रिलीज डीड एवं अन्य दस्तावजों के आधार पर उक्त आवास का नामान्तरण / हस्तांतरण अपने पक्ष में करवाने हेतु आवेदन किया हैं।

अब आवास के आवंटी श्री रामस्वरूप पुत्र श्री रामदयाल की मृत्यु पश्चात् उत्तराधिकारी (पुत्र) श्री प्रकाश चन्द्र कांकरिया पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप द्वारा आवास नामान्तरण हेतु शुल्क राशि रू.2360/- दिनांक 18.01.2022 को जमा करवाकर उक्त आवास से संबंधित रिलीज डीड एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर स्वयं के नाम मृत्यु उपरांत नाम हस्तांतरण / नामान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसकी मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन हैं।

अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी / आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता-राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भीलवाड़ा

राजस्थान आवासन मण्डल -जाहिर आम सूचना-
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(A State Government Enterprise Constitued Under RHB Act 1970)
क्रमांक आरई/भील/2021-22/2186 दिनांक 10-02-2022

आवास संख्या 1-एफ-11 शास्त्री नगर योजना शहर भीलवाड़ा जो मूल आवंटी श्रीमती कलावती देवी गुप्ता पत्नि श्री देवकीनन्दन गुप्ता को सामान्य पंजीकरण योजना-1980 के अन्तर्गत आवंटित किया गया। आवास का आवंटन पत्र क्रमांक 5114 दिनांक 27.06.1983 के द्वारा जारी कर दिनांक 08.10.1983 को आवास का भौतिक कब्जा सुपूर्द किया गया। श्रीमती कलावती देवी गुप्ता पत्नि श्री देवकीनन्दन गुप्ता द्वारा आवेदन करने तथा मकान की पेटे समस्त बकाया राशि जमा होने के पश्चात् पत्र क्रमांक 7618 दिनांक 18.03.1995 के द्वारा अदेय प्रमाण-पत्र जारी किया गया। इसके पश्चात् आवास के मूल आवंटी द्वारा उक्त आवास श्रीमती सुनिता देवी पत्नि श्री राजकुमार तुलसानी को अपंजीकृत दस्तावेज, विक्रय इकरारनामा, वसीयतनामा एवं मुख्तीयार नामा पर विक्रय किये जाने एवं श्रीमती सुनिता देवी पनि श्री राजकुमार तुलसानी के द्वारा आवेदन करने के पश्चात् पत्र क्रमांक 7962 दिनांक 31.03.1995 के द्वारा नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र जारी किया गया। श्रीमती सुनिता देवी पत्नि श्री राजकुमार के पक्ष में कार्यालय पत्र क्रमांक 7963 दिनांक 31.03.1995 के माध्यम से आवास के पंजीयन हेतु पंजीयन प्रपत्र जारी किये गये जिसे आवंटी ने दिनांक 03.04.1995 को उप पंजीयक कार्यालय भीलवाडा में पंजीयन करवा लिये थे। इस प्रकार हाल रिकार्ड उक्त आवास श्रीमती सुनिता देवी पत्नि श्री राजकुमार के नाम है।

इसके पश्चात उक्त आवास जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.10.2010 को श्रीमती सुनिता देवी पत्नि श्री राजकुमार सिन्धी द्वारा श्रीमती मनीला कचौलिया पत्नि श्री मनीष कचौलिया एवं श्रीमती रिनु कचौलिया पत्नि श्री आशीष कचौलिया को बेचान किया गया। इसके पश्चात् उक्त आवास जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.10.2011 का श्रीमती मनीला कचौलिया पत्नि श्री मनीष कचौलिया एवं श्रीमती रिनु कचौलिया पत्नि श्री आशीष कचौलिया द्वारा श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री नरेशचन्द्र गुप्ता एवं श्री नरेशचन्द्र गुप्ता पुत्र श्री विश्वम्भर सहाय गुप्ता को बेचान किया गया।

इसके पश्चात् उक्त आवास के क्रेता श्री नरेशचन्द्र गुप्ता पुत्र श्री विश्वम्भर सहाय गुप्ता की मृत्यु दिनांक 01.09.2020 को हो जाने पर उनके वारिस / उत्तराधिकारी (पुत्र) श्री अमित गुप्ता पुत्र स्व. श्री नरेशचन्द्र गुप्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ पंजीकृत रिलीज डीड एवं अन्य दस्तावजों के आधार पर उक्त आवास का नामान्तरण / हस्तांतरण अपने पक्ष में करवाने हेतु आवेदन किया है।

अब आवास के क्रेता श्री नरेशचन्द्र गुप्ता पुत्र श्री विश्वम्भर सहाय गुप्ता की मृत्यु पश्चात् उत्तराधिकारी (पुत्र) श्री अमित गुप्ता पुत्र स्व. श्री नरेशचन्द्र गुप्ता द्वारा आवास दोहरा पंजीयन नामान्तरण हेतु शुल्क राशि रूपये 23600/- दिनांक 01.02.2022 एवं मृत्यु पश्चात् नामान्तरण हेतु शुल्क राशि रूपये 2360/- दिनांक 01.02.2022 को जमा करवाकर उक्त आवास से संबंधित रिलीज डीड एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर स्वयं के नाम मृत्यु उपरांत नाम हस्तांतरण / नामान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन हैं।

अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/ आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता-राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भीलवाड़ा